

नम्बर व
अहकाम
हुक्म का
में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी - श्री हेताराम चौहान (आर.ए.एस.)

सो - 10/2019

- उनवान
1. अमरचन्द्र पिता भैरु ढोली उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
 2. छोटु पिता भैरु ढोली उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.

(प्रार्थी)

- बनाम
1. रामचन्द्र पिता धुकल ढोली उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
 2. कल्याण पिता गोपी नायक उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
 3. बालु पिता माधु नायक उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
 4. रामलाल पिता माधु नायक उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
 6. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री कृष्ण कुमार जीनगर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

:: निर्णय ::

दिनांक - 07.02.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 01.01.2019 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम गणेशपुरा पटवार मण्डल खेडलिया भू0अ0नि0 महुआखुर्द तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 3 के आ0न0 109, 212, 238 कुल किता 03 कुल रकबा 00-19 बीघा भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 01.01.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सुचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई दिनांक 07.02.2019 पर हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम गणेशपुरा पटवार मण्डल खेडलिया भू0अ0नि0 महुआखुर्द तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 3 के आ0न0 109, 212, 238 कुल किता 03 कुल रकबा 00-19 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक महुआखुर्द को 300/-रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह आदेश आज दिनांक 07.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा